न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र. कमांक 678/दो–2013 विरूद्व आदेश दिनांक 22–8–14 – पारित – तहसीलदार, निवाड़ी जिला टीकमगढ़ –प्रकरण कमांक 81/अ–3/11–12

नाथूराम दांगी पुत्र स्व.धवल दांगी
निवासी बार्ड कमांक 3 दांगिया मोहल्ला
तहसील निवाडी जिला टीकमगढ़ ———आवेदक

विरूध्द

मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव
म0प्र0शासन के पैनल अभिभाषक श्री एस.के.अग्रवाल

आदेश

(आज दिनांक 9–7 – 2014 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, निवाड़ी जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 81/अ–3/11–12 में पारित आदेश दिनांक 22.8.14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार निवाड़ी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि उसके स्वत्व एंव स्वामित्व की ग्राम निवाड़ी खास में भूमि सर्वे कमांक 2160/2 रकबा 1.201 हैक्टर है जिसका नक्शा तरमीम कराना चाहता है इसलिये नक्शा तरमीम किया जावे। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 81/अ–3/11–12 पंजीबद्व किया तथा राजस्व निरीक्षक निवाड़ी को पत्र दिनांक 17–7–12 से तदाशय के निर्देश देकर प्रस्ताव मांगे गये। राजस्व निरीक्षक ने मौके पर नाम एंव जांच कर नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्रतिवेदन दिनांक 29–7–12 से प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार निवाड़ी ने आदेश दिनांक 22–8–12 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तुत नक्शा बटांक प्रस्ताव अपूर्ण पाने से प्रकरण खारित कर दिया । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष नक्शा तरमीम किये जाने का आवेदन किया है जिसे निरस्त करने के दिये गये आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। विचार योग्य है कि तहसीलदार व्दारा नक्शा तरमीम आवेदन निरस्त करने हेतु पारित अंतिम आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी पोषणीय है अथवा नहीं ?

1. म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 70 – सर्वेक्षण संख्याकों को पुर्नकमांकित या उप विभाजित करने की शक्ति – टिप्पणी (आ) – बंदोवस्त अधिकारी की शक्तियॉ प्रदत्त – बंदोवस्त अवधि के भीतर इस धारा के अधीन बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर कर सकेंगें तथा संहिता की धारा 90 की टिप्पणी (आ) (1) अनुसार कलेक्टर की ये शक्तियॉ तहसीलदारों को प्रदान की गई है। धारा 24 के अंतर्गत टिप्पणी इ (9) देखें।

उक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने संहिता की धारा 70 सहपठित 67 एंव 68 (आ) एंव धारा 24 की टिप्पणी ई (9) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आदेश 26.6.11 पारित किया है जो अपील योग्य आदेश है और आवेदक के पास तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अपील का उपचार प्राप्त है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर 30 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अप्रचलयोग्य पाये जाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर